

कार्यालय : बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत

पत्रांक सं० 25/13 /बा०ब०खे०वि०प्रा०/अधि०अनु०/12-13 दिनांक 02/08/2021

श्री/श्रीमती/मै० आम्रेंत वॉचर रुद्राचल गिरि ना-१६
गिरि रुद्राचल गिरि ना-१६
मै० वॉचर रुद्राचल गिरि ना-१६ लिपिक

आपके पत्र दिनांक 2-7-2013 मानचित्र सं० 2513 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित लक्ष्य

मान्यवर .. भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ ग्राम झापा-११ (खोवा-५) मूखण्ड/भवन सं० खोवा

Q-112 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उ०प्र०नगर योजना एवम् विकास अधिनियम की

धारा-15 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध माना जायेगा। उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की दशा में एक वर्ष की बढोत्तरी दो बार पृथक्-2 आवेदन करने पर दी जा सकती है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. स्थल पर निर्माण के समय किसी भी दुर्घटना आदि की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
12. भूकम्परोधी निर्माण हेतु लिंटल बैंड तथा ब्रिक वर्क में आवश्यक सरिया आदि की व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
13. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर मानचित्र निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
14. उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्राविधानों के अनुरूप अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अधीन दण्डनीय होगा।

संलग्नक :- स्वीकृत मानचित्र के प्रति ।

प्रतिलिपि :- अवर अभियन्ता, वर्ग ५ को प्रेषित।

बागपत-बडौत-खेकड़ा विकास
प्राधिकरण, बागपत।